


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>12.03.2022</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल अनु.। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि गैरसायल बलजीत सिंह पुत्र भागसिंह, जाति सोनी, उम्र 32 साल, निवासी वार्ड नं. 10, संगरिया पुलिस थाना संगरिया, जिला हनुमानगढ़ विरुद्ध अन्तर्गत धारा-3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला पुलिस अधिक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस्तगासा पेश कर निवेदन किया कि गैरसायल सट्टा की खाईवाली का धन्धा कर आम जनता का आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है जिससे समाज में अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की आम शोहरत बहुत खराब है। पुलिस थाना, संगरिया के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2017-2018 में कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए हैं। अतः गैरसायल को उचित समय के लिये जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल अनुपस्थित।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा में वर्णित मुकदमें करीबन 2 से 3 वर्ष पूर्व के हैं तथा सम्बन्धित थानाधिकारी द्वारा इस अवधि में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे।</p> <p>अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जिला पुलिस अधिक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत यह इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल बलजीत सिंह पुत्र भागसिंह, जाति सोनी, उम्र 32 साल, निवासी वार्ड नं. 10, संगरिया पुलिस थाना संगरिया, जिला हनुमानगढ़ ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट</b>  <b>हनुमानगढ़</b> </p>	